[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न [illegible]: 2196

23 [illegible], 2020 [illegible]

आत्महत्या के मामलों म वृद्धि

2196. [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार [illegible] यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों म लोगों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों म वृद्धि हुई है, [illegible]

(ख) क्या महामारी के कारण अनेक लोग मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे है और यदि [illegible]

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को महामारी से प्रभावित सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान करने के लिए दिशा-निदश जारी किए थे जिनम टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करना भी [illegible]

(घ) प्रभावित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम [illegible]?

[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य [illegible] ([illegible])

(क) से (ग): लोगों द्वारा की जाने वाली [illegible] स्वास्थ्य [illegible]-19 [illegible], [illegible]-19 [illegible] स्वास्थ्य [illegible]-19 [illegible]-[illegible] कराने के लिए अनेक पहल की ह। इन पहलों म शामिल ह:-

(i) [illegible] स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों म [illegible] स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनो-[illegible] 24/7 [illegible]

(ii) [illegible] स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के प्रबंधन के संबंध म दिशानिदश/एडवाइजरियां जारी करना।

(iii) तनाव और चिंता के प्रबंधन के संबंध म सृजनात्म[illegible]-विजुअल सामग्रियों के रूप म [illegible] म से समर्थन करना तथा सभी के लिए सहायता एवं परिचर्या [illegible]

(iv) □□ष्ट्रीय □□□□□□ स्□□स्थ्य □□ □□त्रि□□ □□ज्ञा□ □स्□□□ (□□म्□□□), □गलुरु द्वारा विस्तृ□ दि□□□□□□ □□□□ □□□□ – ''□□□□□19 □□श्वि□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ स्□□स्थ्य- □□□□न्□ □□नि□त□□□ □□ स्□□□□□□ज़□ □□□□□□ स्□□स्थ्य परिचया स्थापनाओं के लिए दिशानिदश।''

(v) सभी दिशानिदश, एडवाजरियां तथा समर्थित सामग्री □□□□□नि□□ स्□□स्थ्य □□□-□□□□□□□ □ल□□□□□'' □□ □□□ स्□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्रा□□ □ी □□□□□□ (https://www.mohfw.gov.in/) □□□□□ □ी □□ □□□□ □□

(vi) □□म्□□□ द्वा□□ स्□□स्थ्य कमियों को ऑनलाइन क्षमता निमाण (iGOT) □□क्षा □□□□□□ □□□□□□ □□□□-सामाजिक सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध □□□ □□□ □□

(□): □□□□□□ □□□□□ी □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (□□□□□□□□) □□ □□□□न्□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ एनएमएचपी के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ देश के 692 जिलों म जिला मानसिक स्वास्थ्य कायक्रम (डीएमएचपी) के कायान्वयन म सहायता कर रही है:

i. स्कूलों और कॉलेजों म आत्महत्या रोकथाम सेवा, कायस्थल पर तनाव प्रबंधन, □□□□ □□□□ल्□ प्रशिक्षण और परामश प्र□□□ □□□□□

ii. जिला स्वास्थ्य परिचया प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों तक रोकथाम व संवधन और दीघकालिक सतत परिचया सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

iii. मानसिक स्वास्थ्य परिचया के लिए अवसंरचना, उपकरण और मानव संसाधन के रूप म संस्थागत क्षमता संवर्द्ध□□

iv. मानसिक स्वास्थ्य परिचया सेवाओं को प्रदानगी म सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को प्रो□□□□□□

......